[2021] 8 एस.सी.आर. 525

संघार जुबेर इस्माइल

बनाम

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 4543)

31 अगस्त, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, एम. आर. शाह और हिमा कोहली, न्यायमूर्ति]

पर्यावरण कानूनः समुद्री पर्यावरण - 5 जनवरी 2021 को दूसरे प्रत्यर्थी (परियोजना प्रस्तावक) के पक्ष में गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के वाडीनार में पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स में स्थित अपनी रिफाइनरी की क्षमता 20 एम.एम.टी.पी.ए. से 46 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी - अपीलार्थी ने एन.जी.टी. के समक्ष चुनौती दी कि विस्तार से वनस्पतियों और समुद्री जीव विज्ञान दोनों के संदर्भ में समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है - परियोजना प्रस्तावक के बयान के आधार पर कि सभी ई.सी. शर्तों का विधिवत पालन किया जाएगा और वनस्पतियों और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित शमन उपाय किए जाएंगे, एन.जी.टी. ने स्वीकार किया कि उसे ई.सी. की मंजूरी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला - हालांकि, इसने परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए और ई.सी. शर्तों का विधिवत अनुपालन किया जाए - इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था - अभिनिर्धारित किया गयाः एन.जी.टी. ने केवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला और चुनौती के आधार का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया - एन.जी.टी. ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में चुनौती के सारभूत आधारों पर विचार नहीं किया - एक विशेषज्ञ समिति के गठन ने एन.जी.टी को निर्णय लेने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं किया - एन.जी.टी का न्यायिक कार्य समितियों, यहां तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपा जा सकता है - निर्णय एन.जी.टी का होना चाहिए - एन.जी.टी को संसद के एक अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ अधिनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है - एक कार्य जो एन.जी.टी. में निहित है उसे समितियों द्वारा करने के लिए सौंपने से इसके कार्यों के निर्वहन को बाधित नहीं किया जा सकता है।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2021 की सिविल अपील संख्या 4543

2021 (डब्ल्यू.जेड.) की अपील संख्या 5 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित 08.06.2021 के निर्णय और आदेश से।

पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पी मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, आलोक कुमार, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सुश्री भावना सरकार, सुश्री खुशबू विनोदराय मलकान, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सोमिरन शर्मा, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

आदेश

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति:

1. स्वीकार किया।

2. यह अपील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 8 जून 2021 के एक निर्णय से उत्पन्न होती है।

3. एन.जी.टी. के समक्ष अपील 5 जनवरी 2021 को दूसरे प्रत्यर्थी के पक्ष में एक पर्यावरणीय मंजूरी देने से उत्पन्न हुई, जिसमें गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के वाडीनार में पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स में स्थित अपनी रिफाइनरी की क्षमता को 20 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 46 एम.एम.टी.पी.ए. करने की मंजूरी दी गई थी। एन.जी.टी. के समक्ष मुख्य चुनौती, जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 3 में दर्ज किया गया है, यह है कि विस्तार से वनस्पति और समुद्री जीव विज्ञान दोनों के संदर्भ में समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। एन.जी.टी. ने नोट किया कि सी.एस.आई.आर.-एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा तैयार किए गए ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययन की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया है। अध्ययन से निष्कर्ष निकालने के बाद, एन.जी.टी. ने दूसरे प्रत्यर्थी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुति पर ध्यान दिया कि सभी ई.सी. शर्तों का विधिवत पालन किया जाएगा और वनस्पतियों और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित शमन उपाय किए जाएंगे।

4. दूसरे प्रत्यर्थी का कथन दर्ज करने के बाद, एन.जी.टी. ने स्वीकार किया कि उसे ई.सी. की मंजूरी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। हालाँकि, इसने परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए और

ई.सी. की शर्तों का विधिवत पालन किया जाए। इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

5. एन.जी.टी. को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत एक सारभूत अपील पर विचार करना था। धारा 16 (एच) इस प्रकार हैः

"16. कोई भी व्यक्ति जिससे व्यथित है -

(ए) से (जी) xxx xxx xxx

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के लागू होने पर या उसके बाद दिया गया एक आदेश, उस क्षेत्र में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाएं या उद्योगों का वर्ग, संचालन और प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन की जाएंगी।"

6. एन.जी.टी. के समक्ष विशिष्ट आधार यह था कि रिफाइनरी के विस्तार से समुद्री जीव विज्ञान और वनस्पति दोनों के लिए गंभीर खतरे पैदा होंगे। एन.जी.टी. ने अवलोकन किया कि परियोजना पहले से ही अस्तित्व में थी और जहां तक पर्यावरण मानदंडों का संबंध है, इसके कामकाज के खिलाफ कोई निरंतर शिकायत नहीं थी। इस अवलोकन से इस मुद्दे का निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि क्या परियोजना के विस्तार से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

7. अपनी अपीलीय शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एन.जी.टी. को चुनौती के सारभूत आधारों पर अपना दिमाग लगाना होगा। एन.जी.टी. ने अपना निष्कर्ष केवल उस कथन पर आधारित किया है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया गया है और चुनौती के आधारों का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है।

8. वास्तव में, श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हैं, कहते हैं कि अपीलार्थी ने एन.जी.टी. के समक्ष सही ई.आई.ए. की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की थी और स्थिति स्पष्ट करने के लिए दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है। जो भी हो, एन.जी.टी. ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में चुनौती के सारभूत आधारों पर विचार नहीं किया है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन एन.जी.टी. को निर्णय लेने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। एन.जी.टी. का न्यायिक कार्य समितियों, यहाँ तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपा जा सकता है। निर्णय एन.जी.टी. का होना चाहिए। एन.जी.टी. का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। एक कार्य जो

न्यायाधिकरण में निहित है उसे समितियों द्वारा करने के लिए सौंपने से इसके कार्यों के निर्वहन को बाधित नहीं किया जा सकता है।

9. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 8 जून 2021 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं। अपील संख्या 5/2021 (WZ) को तदनुसार नए सिरे से निपटान के लिए एन.जी.टी. की फाइल में पुर्नस्थापित किया जाता है। गुण-दोष के आधार पर पक्षों के सभी अधिकारों और तर्कों को खुला रखा जाता है।

10. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल अपील की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.